सप्तदश माला, खंड 15, अंक 13

बुधवार, 15 दिसंबर, 2021
24 अग्रहायण, 1943 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 15 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

गुंजन वत्स नीरज
संपादक

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 15, सातवां सत्र, 2021 / 1943 (शक)
अंक 13, बुधवार, 15 दिसंबर, 2021 / 24 अग्रहायण, 1943 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	13-28
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 244	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	29
तारांकित प्रश्न संख्या 245 से 260	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990	

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 31-77

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक 78-90

याचिका समिति

23 वें से 25वां प्रतिवेदन 91

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

53 वें से 60वां प्रतिवेदन तथा की गई कार्रवाई प्रतिवेदन 92

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 93-97

(एक) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में सुरक्षा प्रबंध और पद्धतियों" के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते 93

(दो)(क) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित "ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी संबंधी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" के बारे में समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 94

(ख) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) (मांग संख्या 10) के बारे में विभाग से संबद्ध 95

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ग) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) (मांग संख्या 10) के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 159वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती अनुप्रिया पटेल 96

(तीन) दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-2022)" के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री देवुसिंह चौहान 97

समिति के लिए निर्वाचन

चाय बोर्ड 98

नियम 377 के अधीन मामले 99-122

(एक) दार्जिलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी के बारे में

श्री राजू बिष्ट 99-100

(दो) तलचर-बिमलागढ़ रेलवे परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के बारे में

श्री नितेश गंगा देब 101

(तीन) शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरि पुल के निर्माण के बारे में

श्री अरुण कुमार सागर 102

(चार) पुणे हवाई अड्डे को जाने वाली सड़क के निर्माण के बारे में

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट 103

(पांच) हज़ारीबाग में सीतागढ़ पुरातात्विक स्थल के विकास के बारे में

श्री जयंत सिन्हा 104

(छह) बिहार के गया जिले में टेकारी प्रखंड में नया केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में

श्री सुशील कुमार सिंह 105

(सात) केश प्रतिरोपण बाजार के विनियमन के बारे में

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 106

(आठ) ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में

श्रीमती अपराजिता सारंगी 107

(नौ) शोलापुर गड्डा यात्रा के सीधा प्रसारण के बारे में

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी 108-109

(दस) कानपुर जिले में मुन्सिफ अदालत के गठन के बारे में

श्री अशोक कुमार रावत 110

(ग्यारह) फर्रूखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क उपरि पुल का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मुकेश राजपूत 111

(बारह) कोझीकोड में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए सुविधाओं के बारे में

श्री एम. के. राघवन 112

(तेरह) केरल के कासरगोड जिले में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के बारे में

श्री राजमोहन उन्नीथन 113

(चौदह) केरल में अट्टापडी जनजातीय क्षेत्र में शिशु और बाल मृत्यु के बारे में

श्री वी.के. श्रीकंदन 114

(पंद्रह) सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के बारे में

श्री एस.आर. पार्थिबन 115

(सोलह) जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र पुलिस कर्मियों की मृत्यु के बारे में

प्रो. सौगत राय 116

(सत्रह) पश्चिम बंगाल में मुंडेश्वरी नदी पर छोटे बांध के निर्माण के बारे में

श्री सुनील कुमार मंडल 117

(अठारह) ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक घर भवनों की स्थिति के बारे में

श्री राजन बाबूराव विचारे 118

(उन्नीस) पूर्व मध्य रेलवे जोन में रेल सुविधाओं के बारे में

श्री दिलेश्वर कामैत 119

(बीस) ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव और सौंदर्यीकरण के बारे में

कुंवर दानिश अली 120

(इक्कीस) विद्युत (संशोधन) विधेयक,2021 के बारे मे

श्री पी.आर. नटराजन 121

(बाईस) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध के बारे में

डॉ. थोल तिरुमावलवन 122

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>बुधवार, 15 दिसंबर, 2021 / 24 अग्रहायण, 1943 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल - प्रश्न संख्या 241।

श्री सी. लालरोसांगा जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू (श्रीपेरम्बुदुर): महोदय, लखीमपुर ... (*व्यवधान*) इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: बालू जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हमें एक अच्छी परंपरा डालनी चाहिए। मैंने अभी आपका स्थगन प्रस्ताव खारिज तो नहीं किया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव के समय विषय उठाया कीजिए। आप प्रश्न काल को चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक अच्छी परंपरा डालिए कि प्रश्न काल चलना चाहिए। पूरा देश यह चाहता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 241 - श्री सी. लालरोसांगा जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। [अनुवाद] मैं आपको हर विषय पर चर्चा और संवाद करने के लिए पर्याप्त समय दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीट्स पर जाइए। आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए। जब मैं आपका स्थगन प्रस्ताव खारिज करूं, तब आप इस विषय को उठाइएगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप एक अच्छी परंपरा डालिए। सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि एक अच्छी परंपरा से सदन चले। आप सभी अपनी-अपनी जगहों पर जाइए। प्लीज, आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर विराजिए। मेरा आपसे आग्रह है कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री गौरव गोगोई, श्री पी. आर. नटराजन, डॉ. मोहम्मद जावेद, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

<u>**पूर्वाह्न 11.03 बजे**</u>

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 241, श्री सी. लालरोसांगा जी,

(प्रश्न संख्या 241)

[अनुवाद]

श्री सी. लालरोसांगा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को मिजोरम को बैराबी से सायरंग तक रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए जारी परियोजना के बारे में मुझे सकारात्मक उत्तर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। … (*व्यवधान*) आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भविष्य के लिए उनकी कोई योजना है … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जनता ने आपको यहां पर प्रश्न उठाने के लिए भेजा है। आप सभी माननीय सदस्य हैं, आप देश की लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

… (<u>व्यवधान)</u>

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।**
https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[अनुवाद]

श्री सी. लालरोसांगा : क्या रेलवे लाइन को बैराबी से सायरंग तक आगे बढ़ाए जाने की कोई योजना है। … (*व्यवधान*) मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान निर्माणाधीन रेलवे लाइन के पूरा होने की आशा में रेलवे लाइन को दक्षिण मिजोरम तक विस्तारित करने की कोई योजना है ताकि इसे अंततः कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना से जोड़ा जा सके.. (*व्यवधान*)

श्री अश्विनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। … (*व्यवधान*) अब तक मिजोरम राज्य में 51.4 कि.मी. रेलवे ट्रैक को मंजूरी दी गई है जो बैराबी को सायरंग से जोड़ेगा। (*व्यवधान*) यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। … (*व्यवधान*) यह रेलवे नेटवर्क के माध्यम से राजधानी आइजोल को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। … (*व्यवधान*) इस परियोजना की लागत 6,527 करोड़ रुपये है। … (*व्यवधान*) मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने पूर्वोत्तर राज्यों में 74,485 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। … (*व्यवधान*) वर्ष 2009 से 2014 तक, प्रति वर्ष केवल 2,122 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। … (*व्यवधान*) अब, 7,292 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। … (*व्यवधान*) मैं माननीय सदस्य से व्यक्तिगत रूप से से मिलकर यह समझना चाहता हूं कि उनके अन्य अनुरोध क्या हैं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र के रेल का मामला है । एक माननीय सदस्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं । उत्तरी-पूर्व क्षेत्र के अंदर रेल जाएगी, तो वहां का विकास होगा । क्या आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछिए ।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी. लालरोसांगा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम हमें इस विषय के बारे में जानकारी दें? … (*व्यवधान*) क्या सायरंग से दक्षिण मिजोरम तक रेलवे लाइन का और विस्तार करने की कोई योजना है? … (*व्यवधान*)

श्री अश्विनी वैष्णव : महोदय, इस क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। … (*व्यवधान*) पहले आइजोल तक पहुंचा जाए। … (*व्यवधान*) हम उस क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे क्योंकि वह क्षेत्र बहुत उबड़-खाबड़ है। … (*व्यवधान*) मैं माननीय सदस्य से मिलूंगा और इस बात पर चर्चा करूँगा कि और क्या किया जा सकता है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति वर्धन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐसे माहौल में प्रश्न पूछने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) ये जिले नेपाल सीमा से सटे हुए उत्तरी उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़े हुए हैं। ये जिले भारत सरकार की आकांक्षा जनपद श्रेणी में भी आते हैं। ... (व्यवधान)

मान्यवर, इस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से पिछले कार्यकाल में सरकार ने बहराइच से खलीलाबाद को जोड़ने के लिए एक नए रेल मार्ग को प्रस्तावित किया था और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस 4,939 करोड़ रुपये की योजना को वर्ष 2018 में स्वीकृति भी दे दी थी। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पांच जिलों को जोड़ने वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण योजना को गति प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक कार्रवाई हो रही है, जिससे यह योजना अपने निर्धारित समय यानी वर्ष 2024-25 तक पूर्ण हो सके? … (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, नार्थ ईस्ट से नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रोजेक्ट के बारे में माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी बहुत अच्छी प्रोगेस हुई है। ... (व्यवधान) सिद्धार्थ नगर और पास के तीन जिलों के लैंड एक्विजिशन के लिए रिसेंट्ली फंड एलोकेट किया गया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल करके जल्दी से जल्दी लैंड एक्वायर करके इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का काम चल रहा है। ... (व्यवधान)

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य में एक नई रेल लाइन नासिक-पूना को रेल बोर्ड और रेल मंत्रालय ने इनप्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। ... (व्यवधान) उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 20 परसेंट, सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा 20 परसेंट और 60 परसेंट इक्विटी का है। महाराष्ट्र राज्य का जो 20 परसेंट शेयर है, उसको कैबिनेट से अप्रूवल भी मिला है और 60 परसेंट इक्विटी को भी मान्यता मिली है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पिछले छ: महीने से यह प्रपोजल रेल मंत्रालय के पास लंबित पड़ा हुआ है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसको अंतिम मान्यता कब मिलेगी और यह काम कब शुरू होगा? … (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद मेरे साथ अलग से बैठकर इस प्रोजेक्ट पर डिसकस कर सकते हैं। महाराष्ट्र में वर्ष 2009 से वर्ष 2014 में मात्र 1,171 करोड़ रुपये का एलोकेशन होता था, लेकिन आज रेलवे के लिए माननीय मोदी जी ने 4,801 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का एलोकेशन किया है। इस वर्ष वर्ष 2021-22 में 8,547 करोड़ रुपये का एलोकेशन है। ... (व्यवधान) इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एमपी साहब मेरे पास आ जाएं, हम इस पर बैठकर डिसकस कर लेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 242, श्री कृपानाथ मल्लाह।

(प्रश्न संख्या 242)

श्री कृपानाथ मल्लाह : माननीय अध्यक्ष महोदय, दुल्लावचेरा जो कि करीमगंज का लास्ट स्टेशन है, वहां से मिजोरम तक एक्सटेंशन करने के बारे में मेरा प्रश्न था। ... (व्यवधान) मंत्री जी ने बताया है कि मिजोरम का कनेक्शन भैराबी से सारंग तक स्वीकृत हो चुका है। मेरा प्रश्न यह है कि दुल्लावचेरा से केवल 30 किलोमीटर दूर मिजोरम का बॉर्डर है। ... (व्यवधान) वहां के मैक्सिमम लोग ट्राइबल हैं, उनको आजादी के बाद से आज तक ट्रेन की सुविधा नहीं मिली है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मिजोरम का कनेक्शन दूसरी तरफ हो गया है तो उसे असम के लास्ट बॉर्डर तक एक्सटेंड किया जाए। वह सिर्फ 30 किलोमीटर ही बाकी है, ज्यादा नहीं है। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सिल्चर-करीमगंज-दुल्लवचेरा (55687 और 55688) ट्रेन चलती थी, जो दुल्लवचेरा से करीमगंज होते हुए रोज सिल्चर तक जाती थी। ... (व्यवधान) अभी यह ट्रेन कोरोना की वजह से बन्द पड़ी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसे जल्द से जल्द चलाया जाए। ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सांसद जी ने बरियाग्राम से जामुआंग तक एलाइनमेंट की बात की है। ... (व्यवधान) आलरेडी बैरबी से सायरंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी कॉस्ट 6527 करोड़ रुपये है। ... (व्यवधान) नॉर्थ ईस्ट में काम करना बहुत डिफिकल्ट है फिर भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल सिटी तक रेलवे को ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। ... (व्यवधान) पहले यह सेक्शन हो जाए, इसके पैरेलल इस वाले सेक्शन की अभी फिजिबिल्टी एनालिसिस नहीं हुई है और शायद यह फिजिबल भी न हो, फिर भी मैं माननीय सदस्य के साथ बैठकर अलग से यह डिसकस कर लूंगा कि इस एलाइनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। ... (व्यवधान)

श्री कृपानाथ मल्लाह : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मिजोरम को बैरबी से जोड़ने का काम हो ही रहा है, उसको छोड़कर दुल्लवचेरा वाले प्रोजेक्ट का रामपुर, जो मिजोरम का बॉर्डर है, तक एक्सटेंशन किया जाए। यही मेरा अनुरोध है **। ...** (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सांसद जी जिस एलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ बैठकर उसे डिसकस कर लूंगा। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान असम की बराक घाटी की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जहां बहुत कम विकास हुआ है और जहां बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। ... (*व्यवधान*) रेल मंत्री के पद पर रहते हुए सुश्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में, दुल्लवचेरा और चेरागी के बीच एक रेलवे लाइन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। ...(*व्यवधान*) इस समय उक्त रेलवे लाइन की स्थिति क्या है? उक्त रेलवे लाइन को कभी चालू किया जाएगा या नहीं? ...(*व्यवधान*)

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही विशिष्ट परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे मुझसे भेंट करें; मैं इस विशेष परियोजना के बारे में उनसे चर्चा करूंगा। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री अब्दुल खालेक – उपस्थित नहीं।

श्री श्याम सिंह यादव।

... (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का मौका दिया है। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जौनपुर जिले के चारों तरफ रेलवे लाइन्स का जाल बिछा हुआ है। ... (व्यवधान) जहां रेलवे जनता को सुविधा देने के लिए होती है, वहीं फ्लाईओवर न होने की वजह से जनता को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ... (व्यवधान) अभी बहुत कोशिश के बाद जौनपुर से मिर्जापुर वाली रेल लाइन पर रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर बन गया है। ... (व्यवधान) इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन जौनपुर

से प्रयागराज और जौनपुर से लखनऊ, मुंगरा-बादशाहपुर और खेतासराय, इन चार जगहों पर फ्लाईओवर न बनने से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । ... (व्यवधान) मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपा करके इन चारों जगहों पर नज़रे-इनायत कर दें, जौनपुर की जनता को राहत देने के लिए, उनकी तकलीफें दूर करने के लिए ये चार फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें। ... (व्यवधान)

महोदय, एक छोटी सी विनती है कि पहले बनारस से लखनऊ के बीच वरुणा एक्सप्रेस चलती थी, जो कोरोना के समय बन्द कर दी गई थी । ... (व्यवधान) उसकी जगह एक नई रेलगाड़ी चली है, लेकिन वह श्रीकृष्णा नगर, जो पहले स्टॉपेज होता था, वहां पर नहीं रुकती है। ... (व्यवधान) मैं आपसे यह गुज़ारिश करता हूं कि श्रीकृष्णा नगर रेलवे स्टेशन, जो बदलापुर के पास है, वहां पर दूर-दूर से बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं । ... (व्यवधान) मेरा अनुरोध है कि जो नई रेलगाड़ी चली है, उसका स्टॉपेज श्रीकृष्णा नगर रेलवे स्टेशन पर भी करवाने का कष्ट करें। ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सांसद ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में इंडिविजुअल लाइन्स पर कुछ ओवरब्रिजेज की रिक्वेस्ट की है, उसके संबंध में मान्यवर सदस्य और मैं साथ बैठकर डिसकस कर सकते हैं। यह मूल प्रश्न नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्टेड है। ... (व्यवधान)

श्री तापिर गाव : धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

सर, मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह स्टेटस जानना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय से सैंक्शन ऑर्डर तो हो चुका है, लेकिन भलुकपुंग से तवांग, सिलापथर से बामे, पासीघाट से तेजू-परशुराम कुण्ड-नामसाई-रुपाई, डंगरी से रोईंग तक रेल लाइन्स के सर्वे और इनवेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है**? … (**व्यवधान) पासीघाट से रुपाई तक रेल लाइन की सर्वे और इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके मंत्रालय में सब्मिट हुई है । ... (व्यवधान) इसका कार्यक्रम कब शुरू होगा? तवांग से भालुकपॉन्ग का सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशंस का स्टेटस क्या है? मैं आपके माध्यम से इसमें बारे में रेलवे मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : सर, ऑनरेबल मैम्बर ने अरुणाचल प्रदेश के जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, वे प्रोजेक्ट्स अति महत्वपूर्ण हैं। देश की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इन प्रोजेक्ट्स की है। ये बॉर्डर एरिया को कनेक्ट

करते हैं। ... (व्यवधान) इन प्रोजेक्ट्स पर जोर-शोर से काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ऑनरेबल मुख्य मंत्री जी के साथ लगातार संवाद हो रहा है। लैण्ड एक्विज़िशन के लिए जहां पर भी जरूरत हो रही है, उनकी मदद भी बहुत अच्छी मिल रही है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मान्यवर मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा है, इनका ऑलरेडी फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। मैं ऑनरेबल मैम्बर के साथ बैठकर उनको इस प्रोजेक्ट की कम्प्लीट प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 243, डॉ. सुजय विखे पाटील।

(प्रश्न संख्या 243)

[अनुवाद]

डॉ. सुजय विखे पाटील : महोदय, सबसे पहले, मैं विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से हमारे देश में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। … (*व्यवधान*) हमारी सरकार ने वर्ष 2022 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीनी उद्योग की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। … (*व्यवधान*) चीनी उद्योग से एम.एस.पी. में 31 से 35 रुपये की वृद्धि की मांग निरंतर होता रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस एम.एस.पी. को संशोधित करना चाहती है जिसे वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का विज़न है कि भारत 'आत्मनिर्भर' बने और सरकार उस दिशा में काम कर रही है । ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह उस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहूंगी । जो मूल प्रश्न है, उसमें इन्होंने महाराष्ट्र के संबंध में पूछा है कि क्या इथेनॉल, जहां गन्ना मिल है, उसके पास लगा सकते हैं? … (व्यवधान) यह राज्यों का विषय है । यदि राज्य सरकार उसके पास लगाना चाहती है तो लगाने की अनुमति दे, बशर्ते केन्द्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में 35 किलोमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं । अगर उनको लगाना है तो शीरा लेकर ही इथेनॉल बना सकते हैं । ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. सुजय विखे पाटील : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ब्याज छूट योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में अंतिम तिथि के बारे में है। … (*व्यवधान*) बैंक द्वारा तय की गई प्रक्रियाओं के अनुसार -- अंतिम तिथि जनवरी 2021 थी -- तकनीकी पेचीदगी के कारण, बहुत कम लोगों को इस योजना का लाभ मिल सका। … (*व्यवधान*) मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समय सीमा को सर्कुलर तरीके से संशोधित

करने के लिए तैयार है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस ब्याज सहायता योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक समय-सीमा बढाने की बात है, यद्यपि केन्द्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक 10 प्रतिशत, 2024 तक 15 प्रतिशत तथा इसको 2025 तक बढ़ाना है, जिसमें इसको 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। ... (व्यवधान) यह एक बहुद्देशीय विषय है, जिसमें हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पेट्रोलियम विभाग ने हमें जो सूची उपलब्ध कराई है, उसमें भी अनुमति देने की स्वीकृति दी है। इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहता हूं कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने में यह पॉलिसी बहुत अहम् भूमिका निभाती है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम है, वह 1 जी इथेनॉल के लिए है। अगर 2 जी इथेनॉल के लिए शुगरकेन के साथ बाम्बू लेते हैं, तो उससे उनकी चार गुना रिकवरी अच्छी है। क्या वह यह योजना 2 जी के लिए लागू करेंगे? ... (व्यवधान)

मंत्री महोदय, इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम की सुविधा लगभग 1008 इंडस्ट्रीज को दी गई है। आज तक उनमें से सिर्फ 108 लोगों ने प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं। उसके लिए 90 प्रतिशत लोग आगे नहीं आ रहे हैं। उसमें क्या ऑब्सटकल्स हैं, क्या इश्यूज हैं? क्यों प्लांट्स नहीं बन रहे हैं? …(व्यवधान) पंत प्रधान जी चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनें। क्या इसके लिए मंत्रालय के द्वारा किसी कमेटी की स्थापना की गई है? इसमें मंत्रालय की क्या भूमिका है?... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस इथेनॉल में पेट्रोलियम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। पेट्रोलियम विभाग द्वारा 48 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति हेतु, इथेनॉल की कमी वाले राज्यों के टेंडर

जारी किए गए हैं और पेट्रोलियम विभाग उसको स्वीकृत करता है। ... (व्यवधान) अगर वह प्रदेश से हमारे पास आएगी, तो हम उसको स्वीकृति देंगे। ... (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने जो दूसरा विषय उठाया है, मैं उस विषय पर जरूर बोलना चाहूंगी। क्योंकि गन्ना तीन महीने तक रहता है, उसके बाद इथेनॉल कहां से बनेगा, हम ने इथेनॉल योजना में मक्का और राइस को भी लिया है। ... (व्यवधान) आपने देखा होगा कि बहुत पहले मक्का और राइस वेस्ट चला जाता था। इथेनॉल योजना आने के बाद किसानों को भी लाभ होगा और किसानों की आमदनी दोगुनी बढ़ेगी एवं जहां इथनॉल प्लांट्स लगे होंगे, वहां किसानों को तत्काल पेमेंट भी मिलेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या - 244, श्री अशोक महादेवराव नेते जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट रूक जाइए। पहले माननीय मंत्री, श्री पीयूष गोयल जी को उत्तर देने दीजिए।

... (व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : माननीय अध्यक्ष जी, लोगों ने इथेनॉल के विषय में बहुत दिलचस्पी दिखाई है और वास्तव में इसमें माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की बहुत अहम भूमिका रही है। ... (व्यवधान) हमारे किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं। देश में शुगर मिल्स बड़े पैमाने पर रोजगार देती हैं। हमें चीनी में आत्मनिर्भर बनाया है। ... (व्यवधान) विदेशी मुद्रा से पेट्रोल-डीजल के लिए क्रूड ऑयल आता है, उसको भी कम करके, हमारा देश आत्मनिर्भर हो, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ... (व्यवधान)

जब हम वर्ष 2014 में सत्ता में आए, तो मात्र एक-डेढ़ प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग होता था, लेकिन आज वह आठ प्रतिशत से ज्यादा हो रहा है और आने वाले तीन-चार सालों में यह बढ़ कर 20 प्रतिशत हो जाएगा। ... (व्यवधान) चीनी मिलों की ड्यूज पहले वर्षों तक नहीं दी जाती थी, आज के दिन पिछले चीनी सीजन तक लगभग पूरी ड्यूज दे दी गई है। थोड़ा एमाउंट बाकी है, जो हाल में चीनी के लिए गन्ना लिया गया है, उसकी

पेमेंट दी जा रही है। ... (व्यवधान) अन्य योजनाओं के तहत चीनी मिलों को भी मजबूत किया गया है। ... (व्यवधान) गन्ना किसानों को भी मजबूत किया गया है। ... (व्यवधान) इसके तहत अलग-अलग जो सुझाव आए हैं, हम उसमें लगातार संपर्क बनाए रहते हैं। ... (व्यवधान) मैं माननीय सांसदों को बतना चाहता हूं कि इस महीने, दिसम्बर में जो लोग इथेनॉल प्लांट्स लगा रहे हैं, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ क्या-क्या प्रोग्रेस हुई है, उसको देख कर हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जल्द से जल्द इथेनॉल प्लांट्स लगे। ... (व्यवधान) किसी के साथ कोई समस्या है, तो हम उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। ... (व्यवधान) आज शुगर का बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है। ... (व्यवधान) पिछले वर्ष लगभग 70 लाख टन और इस वर्ष 35 लाख टन शुगर के निर्यात के कॉट्रैक्ट्स बन गए हैं। ... (व्यवधान) मार्केट में चीनी के दाम भी अच्छे हैं। ... (व्यवधान) एक प्रकार से गन्ना किसान और शुगर मिल्स को, इस पूरे इको-सिस्टम को मजबूत बनाने का काम इस सरकार ने किया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 244, श्री अशोक महादेवराव नेते जी।

(प्रश्न संख्या 244)

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदय, इस देश के लाडले पंत प्रधान, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और रेल मंत्री जी को हृदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जनजातीय बहुल पिछड़े क्षेत्र में केन्द्र की कई योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम किया है। ... (व्यवधान) इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ... (व्यवधान) मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ... (व्यवधान) यही नहीं वडसा-गडचिरोली रेलवे लाइन, चामोरसी वाया आष्टी, आलापल्ली, सिरोंचा, मंचिरेल, अदेलाबाद और इसके बाद नागभीड़, कामठी, चिमूर-वरोरा, इन दोनों रेलवे लाइन्स सर्वे के लिए मंजूर की गई हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है। ... (व्यवधान) मैंने अपने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का विषय उनके सामने रखा था। ... (व्यवधान) मैंने विशेष रूप से यह बोला था। ... (व्यवधान) लेकिन मुझे उनके उत्तर में बताया गया कि क्षेत्रीय रेलवेवार स्वीकृति दी जाती है, राज्यवार स्वीकृति दी जाती है । ... (व्यवधान) मेरा संसदीय क्षेत्र, जो आदिवासी बाहुल्य है, नक्सल प्रभावित है, अविकसित है। ... (व्यवधान) मैंने वहां का प्रश्न पूछा था। ... (व्यवधान) मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस प्रश्न को न्याय नहीं मिला। ... (व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में वडसा-गडचिरोली रेलवे लाइन मंजूर हो चुकी थी। ... (व्यवधान) इसको दस-ग्यारह वर्ष हो गए हैं। ... (व्यवधान) अभी तक काम चालू नहीं हुआ है, बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है। ... (व्यवधान) इसका कारण है कि फॉरेस्ट विभाग ने फॉरेस्ट कॉरिडोर के नाम से अड़चन की थी। ... (व्यवधान) लेकिन अब वह अड़चन खत्म हो गई है। ... (व्यवधान) प्रॉब्लम यह हो गई, पॉलिसी यह है कि 50 प्रतिशत केन्द्र शासन देगा और 50 प्रतिशत राज्य शासन देगा। ... (व्यवधान) केन्द्र सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं है। ... (व्यवधान) वे पैसे देने के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान) लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। ... (व्यवधान) इसलिए अड़चन आ रही है। ... (व्यवधान) श्री देवेन्द्र फडणवीस जी की जो पिछली सरकार थी, उन्होंने पैसे भी दिए थे और कन्सेन्ट लेटर भी दिया था। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अब इतना करना है कि तुरंत काम चालू करने के लिए पैसे देने का यदि केन्द्र सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री जी को निवेदन चला जाए, तो मुझे लगता है कि इस विषय को न्याय मिलेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें।

… (व्यवधान)

श्री अशोक महादेवराव नेते : माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि मेरे आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र में स्थित वडसा-गडचिरोली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को अविलंब पूरा कराए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? … (व्यवधान) वडसा को कब तक जनजातीय जनपद गड़चिरोली से रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का विचार है? … (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : सर, माननीय सांसद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ... (व्यवधान) वे जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया है। ... (व्यवधान) यह ट्राईजंक्शन एरिया है। ... (व्यवधान) देश की आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ... (व्यवधान) वडसा-गड़चिरोली का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में जैसा मान्यवर सांसद महोदय ने भी ज़िक्र किया, फॉरेस्ट की बहुत सारी दिक्कतें थीं। ... (व्यवधान) मुझे आपको यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फॉरेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। ... (व्यवधान) ऑलरेडी क्या मिटिगेशन मेजर्स लेने पड़ेंगे, इस पर मिनिस्ट्री ने हमको एडवाइस किया है। ... (व्यवधान) 235 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स उसमें इन्क्लूड करने पड़ेंगे। ... (व्यवधान) टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,096 करोड़ रुपये हो गई है। ... (व्यवधान) अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कॉन्ट्रिब्यूशन है। ... (व्यवधान) जैसे ही वह कॉन्ट्रिब्यूशन पूरा हो जाता है, हम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तेजी से कटिबद्ध हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी कोविड-19 का भय है। ... (व्यवधान) देश कोविड-19 से मुक्त नहीं हुआ है। ... (व्यवधान) अधिकारियों के सामने, उनके इतने नजदीक खड़े होकर, बिना मास्क पहने हुए ऐसे नारे लगाकर ये स्वयं को भी रिस्क में डाल रहे हैं, अधिकारियों को रिस्क में डाल रहे हैं और लोगों को भी रिस्क में डाल रहे हैं। ... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, नेता होने के नाते अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो क्या ठीक है? … (व्यवधान) किसी ने भी मास्क नहीं पहना है और ये अधिकारियों के इतने नज़दीक खड़े हुए हैं। ... (व्यवधान) ऐसा करना ठीक नहीं है। ... (व्यवधान) मैं निवेदन करता हूं कि आप इनको कम से कम मास्क पहनने के लिए आदेश दे दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा प्रयास तो हमेशा ही प्रश्नकाल चलाने का रहता है। आज जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु रेल संबंधी विषय पर चर्चा हो रही थी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में रेल के संबंध में चर्चा हो रही थी। सदन में एक अच्छी परम्परा रहे और प्रश्नकाल चले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। आज महंगाई जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होनी है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सदन में चर्चा चाहते हैं तो मैं आप सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करूंगा। आपका जो प्रश्न है, वह प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात, जब मैं स्थगन प्रस्ताव को निरस्त करूं, तब आपके द्वारा उस विषय को उठाना चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप प्रश्नकाल में डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर रहे हैं। यह अच्छी परम्परा और परिपाटी नहीं है। यह सदन की मर्यादा भी नहीं है। मैं सदन के नेताओं को यह बताना चाहता हूं कि आपके

सभी पीठासीन अधिकारी भी यही कहते हैं कि प्रश्नकाल चलना चाहिए। यदि आप प्रश्न-काल को चलने देंगे, तो मैं प्रश्न-काल के बाद आपको विषय उठाने का पूरा अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, महंगाई जैसे मुद्दे पर आज चर्चा होनी है। क्या आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं? एक अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था और देर रात्रि तक बैठकर आप चर्चा और संवाद कर रहे थे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपके हर विषय पर चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। यह सदन स्वस्थ चर्चा करने का स्थान है। आप तख्तियां लहराने और नारेबाजी करने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। आप सभी कृपया अपनी सीट्स पर बैठें। मैं आप सभी को बोलने की इजाजत दूंगा। यदि आप अपनी सीट्स पर वापस जाकर बैठेंगे तो मैं प्रश्न-काल के बाद आप सभी को बोलने की इजाजत दूंगा। प्रश्न-काल कभी भी स्थगित नहीं होता है।

… (व्यवधान)

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 245 से 260
अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

आइटम नं. 2 – श्री जितेन्द्र सिंह जी ।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.0 ½ बजे</u>

इस समय श्री हिबी ईडन, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 02.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5528/17/21]

(2) (एक) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5529/17/21]

(3) (एक) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाईड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाईड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5530/17/21]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5531/17/21]

(5) (एक) जीव विज्ञान संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीव विज्ञान संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5532/17/21]

(6) (एक) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5533/17/21]

(7) (एक) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5534/17/21]

(8) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5535/17/21]

(9) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5536/17/21]

(10) (एक) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5537/17/21]

(11) (एक) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5538/17/21]

(12) (एक) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5539/17/21]

(13) (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5540/17/21]

(14) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5541/17/21]

(15) (एक) टेक्नोलोजी इन्फॉरमेशन, फॉरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलोजी इन्फॉरमेशन, फॉरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5542/17/21]

(16) (एक) बोस इन्स्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इन्स्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5543/17/21]

(17) (एक) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, गांधी नगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, गांधी नगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5544/17/21]

(18) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5545/17/21]

(19) (एक) नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5546/17/21]

(20) (एक) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5547/17/21]

(21) (एक) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5548/17/21]

(22) (एक) भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5549/17/21]

(23) (एक) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और प्रसार केंद्र, शिलॉंग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और प्रसार केंद्र, शिलॉंग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5550/17/21]

(24) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5551/17/21]

(25) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5552/17/21]

(26) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5553/17/21]

(27) (एक) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5554/17/21]

(28) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5555/17/21]

(29) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5556/17/21]

(30) (एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5557/17/21]

(31) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलोजी, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलोजी, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5558/17/21]

(32) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5559/17/21]

(33) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5560/17/21]

(34) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5561/17/21]

(35) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5562/17/21]

(36) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5563/17/21]

(37) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5564/17/21]

(38) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5565/17/21]

(40) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5566/17/21]

(41) (एक) नेशनल एटमोसफियरिक रिसर्च लेबोरेट्री, गडंकी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमोसफियरिक रिसर्च लेबोरेट्री, गडंकी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5567/17/21]

(42) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5568/17/21]

(43) (एक) प्रौदयोगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौदयोगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5569/17/21]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5570/17/21]

(2) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5571/17/21]

(3) (एक) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5572/17/21]

(4) (एक) मैकोन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैकोन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5573/17/21]

(5) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5574/17/21]

(6) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5575/17/21]

(7) (एक) बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5576/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1	विवरण सं. 38	आठवां सत्र, 2011 [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5577/17/21]
2	विवरण सं. 32	नौवां सत्र, 2011 [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5578/17/21]
3	विवरण सं. 29	बारहवां सत्र, 2012 [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5579/17/21]

सोलहवीं लोक सभा

4	विवरण सं. 19	सातवां सत्र, 2016 [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5580/17/21]
5	विवरण सं. 20	नौवां सत्र, 2016 [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5581/17/21]
6	विवरण सं. 16	बारहवां सत्र, 2017 [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5582/17/21]
7	विवरण सं. 15	तेरहवां सत्र, 2017-18 [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5583/17/21]
8	विवरण सं. 13	पंद्रहवां सत्र, 2018 [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5584/17/21]
9	विवरण सं. 10	सोलहवां सत्र, 2018 [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5585/17/21]
10	विवरण सं. 10	सत्रहवां सत्र, 2019

		[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5586/17/21]

सत्रहवीं लोक सभा

11	विवरण सं. 9	पहला सत्र, 2019
		[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5587/17/21]
12	विवरण सं. 7	दूसरा सत्र, 2019
		[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5588/17/21]
13	विवरण सं. 5	चौथा सत्र, 2020
		[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5589/17/21]
14	विवरण सं. 4	पांचवा सत्र, 2021
		[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5590/17/21]
15	विवरण सं. 3	छठा सत्र, 2021
		[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5591/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री रावसाहेब दादाराव दानवे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5592/17/21]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5593/17/21]

(ख) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5594/17/21]

(ग) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5595/17/21]

(घ) (एक) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5596/17/21]

(ड़) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5597/17/21]

(च) (एक) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5598/17/21]

(छ) (एक) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5599/17/21]

(ज) (एक) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5600/17/21]

(झ) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5601/17/21]

(ञ) (एक) भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियरा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियरा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5602/17/21]

(ट) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5603/17/21]

(ठ) (एक) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5604/17/21]

(ड) (एक) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5605/17/21]

(ढ़) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5606/17/21]

(ण) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5607/17/21]

(त) (एक) नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5608/17/21]

(4) (एक) रेल खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रेल खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5609/17/21]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5610/17/21]

(6) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5611/17/21]

(7) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2020 जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 780(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज (परमाणु तथा हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से इतर) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 775(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खनिज (नीलामी) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 776(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा.का. नि. 777(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 927(अ) को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन निरस्त किया गया है।

(पांच) सा.का. नि. 778(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मई, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 560 (अ) को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन निरस्त किया गया है।

(छह) सा.का. नि. 744(अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एक संयुक्त उपक्रम मेसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन प्रचालन करने के लिए छत्तीसगढ़ के सरायीपाली तहसील में बलोडा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक (भंडार संख्या 4 और 13) में डायमंड खनिज के लिए 156.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित करना है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5612/17/21]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.[हिन्दी] आ. 3957(अ) जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5613/17/21]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 2 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी33(1)2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5614/17/21]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5615/17/21]

(2) (एक) सेन्टर फॅार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॅार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5616/17/21]

(3) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5617/17/21]

(4) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनोमिक चेन्ज, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनोमिक चेन्ज, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5618/17/21]

(5) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5619/17/21]

(6) (एक) नेशनल काउिन्सल ऑफ अप्पलाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउिन्सल ऑफ अप्पलाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5620/17/21]

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेक्यूरिटी प्रिन्टिंग एंड मिन्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेक्यूरिटी प्रिन्टिंग एंड मिन्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5621/17/21]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर्स टू एन इश्यू) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/26 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/27 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/28 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/29 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/31 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/33 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/34 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/35 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 6 अगस्त, 2021 के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/38 में उसका शुद्धीपत्र प्रकाशित हुआ था।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/39 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी प्रसूविधाएं और स्वीट इक्वीटी) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/40 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/41 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/42 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/45 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/46 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/47 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयोजित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/48 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयोजित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/49 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/52 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/55 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/56 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/36 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/37 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फोर्टफोलियो प्रबंधक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/58 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/59 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5622/17/21]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेगुलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/30 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5623/17/21]

(10) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2021/43 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2021/53 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5624/17/21]

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और क्लियरिंग निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/44 में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5625/17/21]

(12) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 जो 1 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 842(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5626/17/21]

(13) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 520(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5627/17/21]

(14) वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि (संशोधन) नियम, 2021 जो 6 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5628/17/21]

(15) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3814(अ) जो 17 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5629/17/21]

(16) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (32वां संशोधन) नियम, 2021 जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 831(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5630/17/21]

(17) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 194-ण की उप-धारा (4), धारा 194थ की उप-धारा (3) तथा धारा 206ग की उप-धारा (1-झ) के अंतर्गत दिशानिर्देशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5631/17/21]

(18) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 581(अ) जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी एवं जिसके द्वारा 8 मई,

2000 की अधिसूचना सं. 57/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5632/17/21]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): माननीय सभापति , महोदय, मैं सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) बेसिक केमिकल्स कॉस्मेटिक्स एण्ड डाईज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सी.एच.ई.एम.ई.एक्स.सी.आई.एल.), मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स कॉस्मेटिक्स एण्ड डाईज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सी.एच.ई.एम.ई.एक्स.सी.आई.एल.), मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5633/17/21]

(2) (एक) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5634/17/21]

(3) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आग्रेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5635/17/21]

(4) (एक) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5636/17/21]

(5)(एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5637/17/21]

(6)(एक) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7)उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5638/17/21]

(8) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5639/17/21]

(9)(एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5640/17/21]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5641/17/21]

(ख) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5642/17/21]

(3) (एक) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2017- 2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5643/17/21]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री सोम प्रकाश जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5644/17/21]

(3) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5645/17/21]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5646/17/21]

(5) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5647/17/21]

(6) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उप-धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्थिर और गतिशील दबाव जलयान (अनफायर्ड) (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5648/17/21]

(7) बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत बॉयलर दुर्घटना जांच नियम, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.

743(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5649/17/21]

(8) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 जो 7 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4144(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5650/17/21]

(9) अधिसूचना सं. एफ. सं. पी-29014/101/2020-एलईआई जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारत में विनिर्मित व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के बारे में है।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5651/17/21]

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आई.टी.आई. लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.टी.आई. लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5652/17/21]

(ख) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड,नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5653/17/21]

(ग) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5654/17/21]

(घ) (एक) टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5655/17/21]

(2) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5656/17/21]

(3) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 जो 21 अक्टूबर 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि.749(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5657/17/21]

<u>अपराह्न 02.02 बजे</u>

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक[2*]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

'मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है राज्य सभा 8 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 से निम्नलिखित संशोधनों के साथ सहमत हुई:-

<u>विधेयक का पूरा नाम</u>

1. कि पृष्ठ 1 में "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों ", शब्दों <u>के स्थान पर</u> "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों " शब्द ***प्रतिस्थापित <u>करें</u>*।**

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

2. कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 1 ***<u>में</u>*** "सत्तरवें" शब्द <u>के स्थान पर</u> "बहत्तरवें" शब्द को ***<u>प्रतिस्थापित करें</u>*।**

[*]सभा पटल पर रखा गया।

<u>खण्ड 1</u>

3. कि पार्श्व शीर्ष में, "संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ" शब्दों के स्थान पर, " संक्षिप्त नाम और प्रारंभ" शब्द ***प्रतिस्थापित करें*** ।

4. कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 4 में 2020" अंकों के स्थान पर " के लिए "2021" अंक ***प्रतिस्थापित करें*** ।

।

5. कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति 5 ***का लोप करें*** ।

<u>खण्ड 2</u>

6. कि पृष्ठ 2 पर पंक्ति 6 में, "व्ययों " शब्द, के पश्चात "और ऐसे अन्य विहित व्ययों " शब्द ***अंतःस्थापित करें*** ।

7. कि पृष्ठ 2 पर पंक्ति 9 के पश्चात निम्नलिखित ***अंतःस्थापित करें*** ।

, अर्थात्:-

" (गक) "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम" से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है ;"

8. कि पृष्ठ 2 पर पंक्ति 10 ***में*** "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" शब्द ***प्रतिस्थापित करें*** ।

।

9. कि पृष्ठ 2 पर पंक्ति 16, में "चिकित्सा व्यय" शब्दों," के पश्चात "और ऐसे अन्य विहित व्ययों " शब्द ***अंतःस्थापित करें*** ।

।

10. कि पृष्ठ 2 पर पंक्ति 25 से पंक्ति 28 के स्थान पर , निम्नलिखित ***प्रतिस्थापित करें*** ।

, अर्थात्:-

" (ञ) भ्रूण विज्ञानी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास भ्रूणविज्ञान के क्षेत्र में कोई स्नातकोत्तर चिकित्सीय अहर्ता या डॉक्टरी है या जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और साथ ही कम से कम दो वर्ष का नैदानिक अनुभव है;

11. कि पृष्ठ 3 पर पंक्ति 1 का, लोप करें।

12. कि पृष्ठ 3 पर पंक्ति 2 में "जिसके द्वारा" शब्दों के स्थान पर, " जिसके द्वारा चिकत्सीय व्ययों, स्वास्थ्य संबंधी व्ययों " शब्द ***अंतःस्थापित करें*** ।

।

13. कि पृष्ठ 3 पर पंक्ति 5 में , ***पर*** "प्रतिकूल करने " शब्दों के स्थान पर, "प्रतिकूल करने और ऐसी सरोगेट माता पर होने वाले ऐसे अन्य विहित व्ययों" शब्द ***अंतःस्थापित करें*** ।

।

14. कि पृष्ठ 3 पर पंक्ति 7 से पंक्ति 9 के स्थान पर , निम्नलिखित ***प्रतिस्थापित करें*** ।

, अर्थात्ः-

" (द) "आशय रखने वाला दंपत्ति" से ऐसा दंपत्ति अभिप्रेत है, जिसके पास गर्भकालीन सरोगेसी के लिए आवश्यक उपदर्शन है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का आशय रखता है ;"।

15. कि पृष्ठ 3 पर पंक्ति 9 के पश्चात निम्नलिखित ***अंतःस्थापित करें*** ।

, अर्थात्:-

" (दक) "आशय रखने वाली महिला" से कोई ऐसी भारतीय महिला अभिप्रेत है, जो पैंतीस से पैंतालीस वर्ष की आयु के बीच विधवा हो गई है या जिसका विवाह विच्छेद हो गया है और जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है;"।

16. कि पृष्ठ 3 पर पंक्ति 13 में, "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड या किसी राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, " राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड या राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों " शब्द ***प्रतिस्थापित करें*** ।

17: कि पृष्ठ 3 पर पंक्ति 30 में ,"राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों " शब्दों को ***प्रतिस्थापित करें*** ।

18. कि पृष्ठ 4 पर पंक्ति 4 से पंक्ति 6 के स्थान पर, निम्नलिखित ***प्रतिस्थापित करें*** , अर्थात्ः-

" (*यछ*) "सरोगेट माता" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो अपनी गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण से सरोगेसी के माध्यम से (जो आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला संबंधी आनुवंशिक है) किसी बालक को जन्म देने के लिए सहमत है और जो धारा 4 के खंड (3) के उप-खंड (ख) में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करता है;"।

19. कि पृष्ठ 4 पर पंक्ति 8 के पश्चात, निम्नलिखित ***अंतःस्थापित करें*** ।

अर्थात्:-

"(2) उन शब्दों और पदों के,जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित हैं,वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।"

खण्ड 4

20. कि पृष्ठ 5 पर पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, अर्थात् :-

" (*क*) जब आशय रखने वाला दंपत्ति को एक चिकित्सा उपदर्शन होता है जिसमें गर्भकालीन सेरोगेसी की आवश्यकता होती है :

परंतु भारतीय मूल का ऐसा दंपत्ति या आशय रखने वाली ऐसी महिला को, जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है, ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए आवेदन पर बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा।

स्पष्टीकरण -- इस उपखंड और खंड (iii) के उपखंड (क) की मद (I) के प्रयोजन के लिए, "गर्भकालीन सरोगेसी" पद से ऐसी पद्धति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सरोगेट माता अपनी गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण के माध्यम से आशय रखने वाले दंपत्ति के लिए बालक जन्म देती है और वह बालक सरोगेट माता संबंधी अनुवांशिक नहीं है।"।

21. कि पृष्ठ 6 पर पंक्ति 7 **के पश्चात,** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें, अर्थात्: -

"(i) आशय रखने वाले दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला जिसे सरोगेसी गर्भधारण की आवश्यकता है, चिकित्सा उपदर्शन की किसी एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सा उपदर्शन का प्रमाणपत्र है।"।

22. कि पृष्ठ 6 पर पंक्ति 11 में, "इस" शब्द के स्थान पर "इस मद" शब्द रखें।

23. पृष्ठ 6, पंक्ति 18-20 में, "दंपत्ति" शब्द से आरंभ होने वाले और "और" शब्द पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--

"दम्पत्ति या आशय रखने वाली महिला और सरोगेट माता द्वारा, आवेदन किए जाने पर पारित किया गया है, जो कि सरोगेट बालक को जन्म देने के पश्चात् जन्म शपथपत्र के रूप में देना होगा ; और"

24. कि पृष्ठ 6 पर पंक्ति 25 में, "बीमा कवर" शब्दों के स्थान पर, "बीमा कवर और ऐसी रीति में" शब्द रखें।

25. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 23 में, "सोलह" शब्द के स्थान पर, "छत्तीस" शब्द रखें।

26 पृष्ठ 6 पर पंक्ति 33 और 34 के स्थान पर रखें, अर्थात् :-

"(II) एक रजामंद महिला एक सरोगेट माता के रुप में कार्य करेगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी प्रक्रियाओं से गुजरने की अनुमति दी जाएगी :

परंतु आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला किसी रजामंद महिला सहित समुचित प्राधिकरण के पास प्रस्ताव रखेगा जो सरोगेट माता के रुप में कार्य करने के लिए सहमत है ;"।

27. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित रखें :

"आशय रखने वाले दंपत्ति विवाहित हों और स्त्री सदस्य की दशा में उसकी आयु प्रमाणन की तारीख को तेईस वर्ष से पचास वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में उसकी आयु छब्बीस वर्ष से पच्चपन वर्ष के बीच है ;"।

28. कि पृष्ठ 7 पर पंक्ति 10 का लोप करें।

खण्ड 5

29. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 19 में, "दंपत्ति" शब्द के स्थान पर, "दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला" शब्द रखें।

खण्ड 7

30. कि पृष्ठ 7 पर पंक्ति 30 में, "दंपत्ति" शब्द के स्थान पर, "दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला" शब्द रखें।

31. कि पृष्ठ 7 पर पंक्ति 34 का लोप करें।

नया खंड 7क

32. कि पृष्ठ 7, पंक्ति 34 के पश्चात् अंतःस्थापित करें, अर्थात् :-

"7क. सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बालक को आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला का जैविक बालक समझा जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा।"।

खण्ड 8

33. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 38 में, "सरोगेट माता में अधिरोपित" शब्दों के स्थान पर, "सरोगेट माता के गर्भाशय में अधिरोपित" शब्द रखें।

खण्ड 13

34 और 35. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 5 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :-

"14. सरोगेसी क्लीनिक या आशय रखने वाला दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 13 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना और धारा 4 के अधीन प्रमाणपत्र के रद्दकरण से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा -"

नया खंड 13क और 13ख

36. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 13 **के पश्चात** निम्नलिखित ***अंतःस्थापित करें ,***अर्थात्:-

"**13क .** इस अधिनियम के अधीन सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री नामक एक रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी रजिस्ट्री की स्थापना।

13ख. धारा 13 क में निर्दिष्ट और राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री होगी और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्री द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। "। राष्ट्रीय सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री के उपबंधों का आवेदन।

खण्ड 14

37. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 15 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :--

"राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड

14. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा और जो राष्ट्रीय सहायता प्राप्त

अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा।"। प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन

38. पृष्ठ 9, पंक्ति 32 में, "या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ" शब्दों का लोप करें।

खण्ड 15

39. कि पृष्ठ 10,पंक्ति 11 में "एक" **के स्थान पर** "तीन" रखें।

खण्ड 22

40. कि पृष्ठ 12, पंक्ति 10, ***में*** "राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" शब्दों को ***प्रतिस्थापित करें*** **।**

खण्ड 23

41. कि पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 14 **के स्थान पर**, निम्नलिखित ***प्रतिस्थापित करें*** **।**

, अर्थात्ः-

"**23.** प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र, जिसका विधान-मंडल है, यथास्थिति, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के रूप में जाना जाएगा, जैसा भी मामला हो, जो निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्ः- राज्य सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन।

खण्ड 24

42. कि पृष्ठ 12 में पंक्ति 33 और 34 में, "या स्त्री-रोग या प्रसूति-तंत्र के विशेषज्ञ" शब्दों का ***लोप करें*** **।**

खण्ड 25

43. कि पृष्ठ 13, पंक्ति 11 ***में*** "एक " शब्द के स्थान पर, "तीन" शब्द ***प्रतिस्थापित करें*** **।**

<u>ण्ड 32</u>

44. कि पृष्ठ 14, पंक्ति 37 में "द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "इस अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

45. कि पृष्ठ 14, पंक्ति 40 में "अधिनियम" के स्थान पर "अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम" रखें।

46. कि पृष्ठ 15, पंक्ति 3 के पश्चात् अंतःस्थापित करें :

"(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी अध्यक्ष, पदेन;"

47. कि पृष्ठ 15, पंक्ति 7 ***<u>में</u>*** "अध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष, पदेन" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित करें</u>*** **।**

<u>खण्ड 34</u>

48. कि पृष्ठ 16, पंक्ति 7 और 8 में "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड" के स्थान पर "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" को प्रस्तुत करें" ***<u>अंतःस्थापित करें</u>*** **।**

<u>खण्ड 37</u>

49. कि पृष्ठ 17, पंक्ति 8 के पार्श्वशीर्ष **के स्थान पर**, "निःस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए दंड" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित करें</u>*** **।**

50. कि पृष्ठ 17, पंक्ति 9 में “युगल" **के स्थान पर** " युगल या आशय रखने वाली महिला" शब्द ***<u>अंतःस्थापित करें</u>*** **।**

51. कि पृष्ठ 17, पंक्ति 11, ***में*** "व्यक्ति से" **के स्थान पर** " व्यक्ति से निःस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए " ***प्रतिस्थापित करें*** **।**

खण्ड 47

52. कि पृष्ठ 18, पंक्ति 33 के पश्चात निम्नलिखित ***अंतःस्थापित करें*** , अर्थात्:-

" (*क*) धारा 2 की उप-धारा (*1*) के खंड (*ख*), खंड (*च*) और खंड (*थ*) के अधीन विहित व्यय;"।

53. कि पृष्ठ 18, पंक्ति 36 ***में*** "वह रीति" **के स्थान पर**, "वह अवधि और वह रीति" ***प्रतिस्थापित करें*** **।**

54. कि पृष्ठ 18, पंक्ति 37, के पश्चात निम्नलिखित ***अंतःस्थापित करें***, अर्थात्:-

" (छ) धारा 4 के खंड (2) के उप-खंड (*क*) के परंतुक के अधीन बोर्ड से सिफारिश का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति;"

55. कि पृष्ठ 19, पंक्ति 2 **के स्थान पर,** "में किसी बीमा कंपनी के बीमा कवर और ऐसे कवर की रीति" ***अंतःस्थापित करें।***

56. कि पृष्ठ 19, पंक्ति 7 में, "सरोगेट माता में रोपित" शब्दों **के स्थान पर,** "सरोगेट माता के गर्भाशय में रोपित" ***प्रतिस्थापित करें।***

57. कि पृष्ठ 19, पंक्ति 7 में, "राज्य और संघ राज्यक्षेत्र बोर्डों" **के स्थान पर,** "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" ***प्रतिस्थापित*** करें।

अतः, मैं राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसरण में उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाता हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना इस सभा को दी जाए।

महोदय, मैं सरोगेसी (विनियमन) विधेयक ,2019 सभा पटल पर रखता हूँ, जैसा कि लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटा दिया गया।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : महोदय, यह तरीका नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.03 बजे

याचिका समिति
23 वें से 25वां प्रतिवेदन

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में देश में उच्च शिक्षा की स्थिति के संबंध में, श्री विनोद सोनकर, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित श्री सत्येन्द्र सिंह के अभ्यावेदन पर, याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा अपने 58वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(2) कर्नल (सेवानिवृत्त) (टी.एस.) रण सिंह डूडी को मिलने वाली पारिणामिक प्रसुविधाओं को देने से इंकार करने के कारण उनके साथ हुए अन्याय के आरोप और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य, लोक सभा दूवारा अग्रेषित उनकी पत्नी, श्रीमती सुमन डूडी के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (7वीं लोक सभा) के 5वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में अनुकम्पा आधार पर उनकी नियुक्ति में विलंब और अन्य तत्संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री श्यामल कुमार दास के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 02.03 ½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
53 वें से 60वां प्रतिवेदन तथा की गई कार्रवाई प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) के 53वें से 60वें प्रतिवेदनों (मूल) और 61वें से 62वें प्रतिवेदन (की गई कार्रवाई) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 02.04 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में सुरक्षा प्रबंध और पद्धतियों" के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[3*]

[हिन्दी]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में सुरक्षा प्रबंध और पद्धतियों' के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के **21**वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5523/17/21।

<u>अपराह्न 02.04 ½ बजे</u>

[अनुवाद]

(दो)(क) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित "ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी संबंधी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" के बारे में समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति [4*]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): माननीय सभापति महोदय, मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित "ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी संबंधी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" के बारे में समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहती हूं।

---

[*]सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5524/17/21।

(ख) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) (मांग संख्या 10) के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति[5*]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): माननीय सभापति महोदय, मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) (मांग संख्या 10) के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5525/17/21।

(ग) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) (मांग संख्या 10) के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 159वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति[6]*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): माननीय सभापति महोदय, मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) (मांग संख्या 10) के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 159वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5526/17/21।

अपराह्न 2.05 बजे

[अनुवाद]

(3) दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-2022)" के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति[7*]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): मैं दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-2022)" के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5527/17/21।

अपराह्न 02.06 बजे

समिति के लिए निर्वाचन
चाय बोर्ड

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ:-

"कि चाय निगम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि चाय निगम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुई हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले[8*]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। जिन माननीय सदस्यों के आज के नियम 377 के मामले हैं, वे उन्हें 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(एक) दार्जिलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी के बारे में

[अनुवाद]

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): भारी वर्षा होने के बावजूद, दार्जिलिंग लोक सभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पानी की कमी सबसे पुरानी समस्या है।

शहरों के अनियोजित विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण, झीलों, झरनों, नदियों और नहरों जैसे पारंपरिक जल स्रोत सूख रहे हैं।

अनियंत्रित अवैध रेत और पत्थर खनन ने हमारी नदियों की प्रतिधारण क्षमता को कम कर दिया है।

---

*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

तीस्ता नदी और उसकी सहायक नदियों पर बने कई बांधों ने हमारी नदी व्यवस्थाओं और जल चक्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है।

हमारे क्षेत्र में पर्याप्त बारिश होने के बावजूद हमारे पास प्रचुर मात्रा में पानी को बनाए रखने के लिए संसाधनों की कमी है।

दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियांग, मिरिक, सिलीगुड़ी, माटीगाड़ा, अल्गारा, फांसीदेवा, खोरीबाड़ी और नक्सलबाड़ी ब्लॉकों में लगभग 15 लाख लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है।

मैं केंद्र सरकार से 'हर घर जल' कार्यक्रम के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने और शीर्ष प्राथमिकता पर विभिन्न जल संचयन विधियों को पेश करके स्थानीय जल निकायों का कायाकल्प और पुनरुद्धार शामिल करने का अनुरोध करता हूँ।

(दो) तलचर-बिमलागढ़ रेलवे परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के बारे में

श्री नितेश गंगा देब (सम्बलपुर): देवगढ़ जिला ओडिशा राज्य में मेरे संसदीय क्षेत्र सम्बलपुर के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के 74 वर्ष बाद भी देवगढ़ जिले को देश के रेलवे मानचित्र में जगह नहीं मिली है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन एन.डी.ए. सरकार ने वर्ष 2003 -2004 में तलचर-बिमलागढ़ रेल परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 149.78 कि.मी. है, जिसमें से केवल 17.62 कि.मी. अभी तक पूरी हुई है। भूमि अधिग्रहण इस परियोजना की मुख्य समस्या है। ओडिशा सरकार ने कुल 990.45 एकड़ में से केवल 410.9 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया है जबकि अब तक 422.38 एकड़ में से केवल 216.54 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह परियोजना वर्ष 2025 तक तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार शेष भूमि को जल्द से जल्द नहीं सौंपती है। मैं रेल मंत्रालय से शेष भूमि का अधिग्रहण मार्च 2022 तक करने का आग्रह करता हूं, ताकि यह परियोजना वर्ष 2025 तक पूरी की जा सके।

(तीन) शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरि पुल के निर्माण के बारे में

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ.प्र.) के अंतर्गत कृभको फर्टिलाईजर्स लि0, पिपरौला, जनपद शाहजहांपुर से बंथरा रेलवे स्टेशन तक 16 कि0मी0 लंबी रेलवे लाईन का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा इस निर्माण कार्य में अंडरपास भी प्रस्तावित है।

इस संबंध में, मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि क्षेत्र के बहादुरपुर विशुनपट्टी, गंधार, सहसपुर, सिमरिया, ढकिया परवेजपुर,खानपुर, सिरोमननगर इत्यादि ग्रामों को एक मुख्य चक मार्ग से जोड़ता है। अतः यदि इन ग्रामों के आवागमन हेतु अण्डरपास का निर्माण होता है तो इससे क्षेत्र के किसान, जो कृषि कार्य के लिए बड़े-बड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं ट्रकों के माध्यम से अपनी फसल को बेचने हेतु मण्डी लेकर पहुंचते है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा अण्डरपास में बड़े वाहनों के फंसने की भी आशंका रहेगी, जिससे यातायात भी पूरी तरह से अवरुद्ध होगा।

अतः ऐसी स्थिति में, मेरा अनुरोध है कि जनहित में उक्त रेलवे लाईन निर्माण कार्य में उपरोक्त सभी ग्रामीण मार्गो के मुख्य चक मार्ग पर रेलवे लाईन निर्माण में अण्डरपास के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाएं।

(चार) पुणे हवाई अड्डे को जाने वाली सड़क के निर्माण के बारे में

[अनुवाद]

श्री गिरीश भालचंद्र बापट (पुणे): पुणे हवाई अड्डे पर आने वाले आगंतुकों को ट्रैफिक से बचाने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा था। हालांकि, रक्षा भूमि के हस्तांतरण में देरी के कारण इसे रोक दिया गया है। इस सड़क का उपयोग रक्षा कार्मिकों और नागरिकों दोनों द्वारा किया जाएगा। हवाई अड्डे के प्राधिकरण ने 0.58 एकड़ (2350 वर्ग मीटर) की भूमि का सर्वेक्षण डी.ई.ओ. को भेजा था, जैसा कि रक्षा प्राधिकरण ने 18.03.2020 को अनुरोध किया था। हालांकि, जमीन के हस्तांतरण का काम अभी तक लंबित है। पुणे नगर निगम द्वारा रक्षा भूमि खंड के दोनों ओर निजी भूमि के हिस्से पर संपर्क सड़कों का निर्माण बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया है। हालांकि, 2350 वर्ग मीटर रक्षा भूमि पर सड़क का विस्तार पूरा न होने के कारण इन सड़कों का उपयोग रुका हुआ है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि रक्षा भूमि के इस टुकड़े को हवाई अड्डे के प्राधिकरण को हस्तांतरित करने में तेजी लाई जाए, ताकि सड़क निर्माण के लंबित कार्य को तेजी से पूरा किया जा सके।

(पांच) हज़ारीबाग में सीतागढ़ पुरातात्विक स्थल के विकास के बारे में

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): पिछले 6 महीनों से, एएसआई सीतागढ़, हज़ारीबाग में एक पाल-युग मठ-सह-मंदिर की खुदाई कर रहा है। पाल वंश ने बौद्ध मठों का एक संपन्न नेटवर्क स्थापित किया था। सीतागढ़ में पाल-काल के मठ की खोज, और बोधगया और नालंदा दोनों से इसकी निकटता, इसे सीधे पाल वंश के भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ती है। इतिहासकारों का मानना है कि 21वीं सदी में प्राचीन स्थिति में एक प्राचीन मठ ढूंढना बहुत दुर्लभ है; और इतनी बड़ी खोज कुछ दशकों में एक बार होती है।

सीतागढ़ में पुरातात्विक स्थल विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है, और संभवतः एक बड़ा, बेहतरीन ढंग से विकसित मठ या मंदिर बन सकता है। इस ऐतिहासिक स्थल पर राज्य सरकार की कथित लापरवाही के कारण चोरी की घटना हुई है, मैं संस्कृति मंत्रालय से राज्य सरकार से इस भूमि का अधिग्रहण करने और इन अमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी खोजों को सूचीबद्ध करने का अनुरोध करता हूं। इसके अलावा, मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि शीर्ष पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को इस स्थल को सौंपा जाए, और भविष्य के उत्खनन के लिए एक मास्टर-प्लान बनाएं जो स्थानीय आबादी को रोज़गार प्रदान कर सके। मंत्रालय के तहत इस स्थल के विकास से हज़ारीबाग़ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भावी पीढ़ियों के लिए एक असाधारण विरासत का निर्माण करेगा।

(छह) बिहार के गया जिला के टेकारी प्रखंड में नया केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के गया (बिहार) के टेकारी में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया जिले में मात्र एक ही केंद्रीय विद्यालय है जो औरंगाबाद में स्थित है। गया से औरंगाबाद की दूरी लगभग 100 कि.मी. है जिससे गया क्षेत्र के निवासियों को मेरे सांसद कोटे से केंद्रीय विद्यालय में नामांकन का लाभ नहीं मिल पाता है। गया जिले के अंतर्गत टेकारी प्रखंड मेरे ही संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है तथा टेकरी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत है। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना से जहां शिक्षकों, केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक समुचित शिक्षा व्यवस्था संभव हो सकेगी वही केंद्र सरकार के कर्मियों के बच्चों एवं स्थानीय छात्रों को लाभ मिल सकेगा तथा मेरे नामांकन कोटे का लाभ भी मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को मिल सकेगा

(सात) केश प्रतिरोपण बाजार के विनियमन के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): वैश्विक केश प्रत्यारोपण बाजार का आकार वर्ष 2018 में 5.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2026 तक 43.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत एक संभावित बाजार है जिसमें पुरुष और महिलाएं कम उम्र में बालों के झड़ने और गंजेपन के अनुभव से गुजर रहे हैं। विशेष रूप से टियर 1 शहरों जैसे दिल्ली एन.सी.आर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर आदि में इसकी भारी मांग है। यह मांग टियर 2 शहरों में भी फैलने लगी है। हालांकि, भारत में केश प्रत्यारोपण के व्यापार के लिए कोई विनियमन या नियम नहीं है। नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए कोई पात्रता मानदंड या ऑपरेशन थिएटर दिशानिर्देश नहीं हैं। यह अनैतिक प्रथाओं और सेवाओं की काला-बाजारी को जन्म देता है। आजकल, तकनीशियन जो मुश्किल से 10 वीं या 12 वीं पास हैं, स्वतंत्र रूप से अपना अभ्यास कर रहे हैं और एक योग्य डॉ. की भागीदारी के बिना स्वतंत्र रूप से केश प्रत्यारोपण सर्जरी कर रहे हैं। केश प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं के कारण मृत्यु के कुछ मामले सामने आए हैं। यदि प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा उपचार नहीं किया जाता है तो कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, मैं सरकार से इस मुद्दे पर गौर करने और केश प्रत्यारोपण बाज़ार को विनियमित करने और इसे भारत के अन्य चिकित्सा क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(आठ) ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): मैं सुरक्षा और स्वास्थ्य के मामले में ओडिशा में महिलाओं की बिगड़ती स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सितंबर 2021 में एन.सी.आर.बी. द्वारा जारी 'क्राइम इन इंडिया' प्रतिवेदन 2020 से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में ओडिशा दूसरे स्थान पर है। ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर 112.9 मामले हैं, जबकि 2019 में अपराध की दर 103.5 थी। वर्ष 2018 से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 25.72% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 'राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5' (एन.एफ.एच.एस-5) इंगित करता है कि पिछले 5 वर्षों में महिलाओं में पोषण की कमी और बढ़ गई है। 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की तीन महिलाओं में से दो रक्त की कमी से पीड़ित हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60% से अधिक महिलाएं रक्त की कमी से पीड़ित हैं। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में, विशेष रूप से युवा महिलाओं में रक्त की कमी ज्यादा देखी गई है।

मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे ओडिशा सरकार से इस संबंध में एक प्रतिवेदन जारी करने को कहें, जिसमें राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण मांगा जाए।

(नौ) शोलापुर गड्डा यात्रा के सीधा प्रसारण के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर) : महाराष्ट्र के शोलापुर में वार्षिक गड्डा यात्रा पिछले 900 वर्षों से मनाई जाती है। यह त्योहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों से भी लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समानता का आदर्श प्रतीक, इसे राजनीतिक उद्देश्यों या सरकारी अनुदान या सहायता के बिना मनाया जाना जारी है।

15 दिवसीय सांस्कृतिक मेला शाकंबरी पूर्णिमा पर शुरू होता है, माघ के हिंदू महीने में पूर्णिमा का दिन, जो इस वर्ष 12 जनवरी को पड़ा था। सभी जातियों और धर्मों के लोगों द्वारा आयोजित मेला निम्नलिखित अमावस्या (अमावस्या की रात) पर समाप्त होता है।

सिद्धेश्वर, सिद्धरामेश्वर या सिद्धराम पांच आचार्यों या संतों में से एक थे, और लिंगायत धर्म में एक महान योगदानकर्ता थे, जिन्हें वीरशैवसिम भी कहा जाता है। एक महान रहस्यवादी और कन्नड़ कवि, वह 12 वीं शताब्दी के दौरान बसयन्ना की वीरशैव क्रांति का हिस्सा थे। सबसे सम्मानित कवियों में से एक के रूप में, उन्होंने 68,000 वचन या बातें लिखीं। वह एक महान संत थे जिन्होंने श्री बसवेश्वर की शिक्षाओं का प्रचार किया।

सोलापुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ इरेश स्वामी ने सिद्धेश्वर यात्रा की तुलना पंढरपुर वार्षिक तीर्थयात्रा से की है।

त्योहार के दौरान किए जाने वाले कुछ अन्य अनुष्ठानों में पहले दिन तेलाभिषेक, दूसरे दिन अक्षत और तीसरे दिन होम, और चौथे दिन सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में आतिशबाजी का प्रदर्शन शामिल है।

स्वामी ने कहा, "सिद्धेश्वर ने स्वयं 68 शिव लिंग स्थापित किए हैं और वार्षिक मेले का समापन शहर में फैले सभी शिव लिंगों की परिक्रमा के साथ होता है। नंदी ध्वज को ले जाने वाले भक्तों की कमर के चारों ओर बांधा जाता है।"

उपस्थित लोगों को सात प्रमुख समुदायों के साथ सात अलग-अलग लाठी लेकर लंबी-लंबी डंडियां ले जाते हुए देखा जाता है, जिससे उत्सव सभी के लिए समावेशी हो जाता है।

मै माननीय प्रसारण मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि, इस उत्सव का सीधा प्रसारण डी डी सह्याद्री और अन्य वाहिनी ओन के द्वारा किया जाये।

(दस) कानपुर जिले में मुन्सिफ अदालत के गठन के बारे में

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा रही है कि न्यायपालिका का विकेन्द्रीकरण करके जनमानस को सुलभ एवं त्वरित न्याय नजदीकतम उपलब्ध हो । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से देश के विभिन्न राज्यों की अनेक तहसीलों से मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना हो भी चुकी है।

लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ.प्र.) के अन्तर्गत तहसील बिल्हौर, जो एक अति प्राचीन एवं बड़ी तहसील है और जो जिलाधिकारी, कानपुर नगर के अधीन है,इसमें लगभग 409 राजस्व ग्राम एवं नगर पंचायत तथा एक नगरपालिका परिसर व 4थाने हैं। मुख्यालय तहसील बिल्हौर की दूरी जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से लगभग 60 कि.मी. तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से लगभग 110 कि.मी. तकतहसील सुदूर सीमा जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से 75 कि.मी. और जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से 125 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात जाने हेतु सुलभ यातायात साधनों की अत्यधिक कमी है। जिस कारणवादकारियों को अपने घर से 6 से 8 घण्टे का समय लगता है। इस प्रकार अत्यधिक दूरी एवं यातायात साधनों की किल्लतों की वजह से गरीब वादकारी अपेक्षित न्याय पाने में असमर्थ रहते हैं, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों एवं सभ्य समाज तथा उच्चतम न्यायालय की मंशा के भी विपरीत है। तहसील मुख्यालय परिसर बिल्हौर मेंन्यायालय की स्थापना हेतु पर्याप्त एवं उचित स्थल उपलब्ध है और उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिल्हौर तहसील के आसपास नई एवं क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत छोटी तहसीलों में सिविल न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) की स्थापना भी हो चुकी है।

अतः मेरा अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक मे तहसील मुख्यालय बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर (उ.प्र.) में अपेक्षित सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करके इसको पुनः कानपुर नगर के न्यायिक क्षेत्र से ही सम्बद किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(ग्यारह) फर्रूखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क उपरि पुल का निर्माण कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): वर्ष 2016 के रेल बजट में मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में चार रेल उपरिगामी सेतु स्वीकृत हुए थे। इनमें से दो पर काम चल रहा है परंतु दो आर.ओ.बी. का कार्य अब तक आरंभ नहीं हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे के कासगंज-फर्रुखाबाद रेल प्रखंड पर समपार संख्या 182 कायमगंज- रुदायन रेल मार्ग एवं रेल समपार संख्या 154 फर्रुखाबाद - फतेहगढ़ रेल मार्ग के दोनों आर.ओ.बी.अभी तक लंबित हैं जबकि तत्कालीन मा० रेलमंत्री के पत्रांक संख्या एम.आर/2016/बी.टी.एस-2/116 के द्वारा के हमें जानकारी दी गयी कि ये दोनों आर.ओ.बी. 2016 के रेल बजट में स्वीकृत हो चुके हैं और जल्द ही बनने लगेगें परंतु आज तक एल.सी. नंबर-154 व 182 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है |

अतः माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि रेल बजट 2016 में स्वीकृत दोनों आर.ओ.बी. पर कार्य तुरंत आरंभ कराने का कष्ट करें |

(बारह) कोझीकोड में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए सुविधाओं के बारे में

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड): कोझिकोड में सी.जी.एच.एस. वेलनेस सेंटर 2020 में स्थापित किया गया था। इसका लाभ उठाने के लिए, निजी अस्पतालों के पैनल की उपलब्धता की आवश्यकता है। हालाँकि, वर्ष 2014 में निर्धारित प्रचलित दरों के कारण, बड़ी संख्या में अस्पताल स्वयं को पैनल में शामिल करने से अनिच्छुक हैं, जिससे लाभार्थियों को लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि लाभार्थियों को अधिक विशेषज्ञ अस्पताल और उपचार प्रदान करने के लिए दरों को तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए।

दूसरा, केरल मुख्य रूप से आयुर्वेद उपचार में संलग्न है। सी.जी.एच.एस. डब्ल्यू.सी, कोझिकोड में आयुर्वेद और होम्योपैथी सुविधा सहित आई.एस.एम. शुरू करने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ इन दो मुद्दों पर विचार करें और सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों की मदद करें।

(तेरह) केरल के कासरगोड जिले में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के बारे में

श्री राजमोहन उन्नीथन (कासरगोड): मेरे निर्वाचन क्षेत्र, कासरगोड में एक बड़ी एन.आर.आई. आबादी और बड़ी संख्या में नाविक हैं जो नियमित रूप से व्यापारी जहाजों में काम के लिए दुनिया भर में यात्रा करते हैं। उन्हें नियमित आधार पर पासपोर्ट सेवा केंद्र की सेवा की आवश्यकता होती है।

लेकिन जिले में कोई भी 'पासपोर्ट सेवा केंद्र' सभी सुविधाओं से लेस नहीं है। निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र कन्नूर जिले के पय्यानूर में है जो कासरगोड जिले की सीमाओं से 100 कि.मी. दूर है।

कासरगोड जिले के प्रवासियों और नाविकों की लंबे समय से मांग है कि यहां एक पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना की जाए । लगातार बढ़ रही उपयोगकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधा वाले जिले में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र अब समय की मांग बन गया है। इसके अलावा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंजेश्वर में उप्पला डाकघर का उपयोग डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.ओ.पी.एस.के.) के रूप में किया जा सकता है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से कासरगोड जिले के लिए एक पासपोर्ट कार्यालय को मंजूरी देने या जिले के लिए कम-से-कम मंजेश्वर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

(चौदह) केरल के अट्टापडी जनजातीय क्षेत्र में शिशु और बाल मृत्यु के बारे में

श्री वी.के. श्रीकंदन (पालक्काड़): अट्टापडी जनजातीय क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया, आदि के कारण शिशु और बाल मृत्यु दर एक नियमित घटना बन चुकी है। पिछले 10 वर्षों के दौरान 120 से अधिक शिशुओं ने इसके कारण अपनी जान गंवाई। गर्भवती महिलाओं और एनीमिक महिलाओं में कुपोषण, शिशुओं की मृत्यु में योगदान देने वाले कुछ कारण हैं। अवैध शराब और नशीली दवाओं की उपलब्धता वहां के लोगों के स्वास्थ्य को और खराब कर रही है। कथित कुप्रबंधन, विपथन और निधियों के दुरुपयोग के कारण इस जनजातीय क्षेत्र में कम विकास हुआ और निर्धारित निधियों से वास्तव में कोई वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जागरूकता की कमी, उनके शोषण को जन्म देती है। कोट्टाथरा के सरकारी आदिवासी अस्पताल में अति आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए, उन्हें उपचार के लिए विशेषरूप से लगभग 100 कि.मी. दूर जाना पड़ता है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि स्थिति का आकलन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों वाली एक केंद्रीय टीम की प्रतिनियुक्ति की जाए। अट्टापडी में निरंतर शिशु और बाल मृत्यु दर की जांच के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

(पंद्रह) सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के बारे में

श्री एस.आर. पार्थिबन (सलेम): भारत के इस्पात प्राधिकरण की एक इकाई सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1981 में राज्य के औद्योगिक विकास और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सलेम इस्पात संयंत्र में 4000 एकड़ भूमि सहित लगभग 15,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के साथ अत्याधुनिक तकनीक भी मौजूद हैं। इस्पात संयंत्र के लिए लगभग 3000 किसानों ने अपनी कीमती जमीनें बेच दीं। इस संयंत्र से 2000 प्रत्यक्ष और 3000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए।

सलेम इस्पात संयंत्र ने अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकारी खजाने में अब तक 2700 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है और 3000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा भी अर्जित की है। वर्ष 2010 में विस्तार सुविधाओं के चालू होने के बाद से, संयंत्र प्रति वर्ष लगभग 120 करोड़ रुपये के ब्याज के बोझ तले दबा हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे संयंत्र के ब्याज को माफ करके, कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करके और अप्रयुक्त भूमि में स्टेनलेस स्टील औद्योगिक पार्क की स्थापना करके विकास की संभावनाओं का पता लगाएं। केंद्र सरकार को श्रमिकों के कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विचार पर विचार करना चाहिए।

(सोलह) जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र पुलिस कर्मियों की मृत्यु के बारे में

प्रो. सौगत राय (दमदम): कल शाम श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवान में एक पुलिस शिविर के पास दो आतंकवादियों द्वारा पुलिस बस पर हमला करने से जम्मू और कश्मीर सशस्त्र बल के तीन पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हो गए। जहां 2 पुलिसकर्मियों की मौत बीती रात हुई, वहीं एक ने आज सुबह दम तोड़ा। मारे गए पुलिसकर्मियों में एक सहायक उप-निरीक्षक और दूसरा एक अनुभाग ग्रेड का कांस्टेबल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकवादियों ने अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र में बस पर भारी गोलीबारी की, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बलों के कई शिविर शामिल थे। घटना जेवान इलाके में हुई है। यह कश्मीर में सामान्य स्थिति की केंद्र की झूठी कहानी को दर्शाता है। कश्मीर में सामान्य स्थिति की भारत सरकार की झूठी कहानी उजागर हो गई है, फिर भी कोई कथित सुधार नहीं हुआ है। यह हमला *कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक पुलिस दल पर आतंकवादियों* की गोलीबारी में *दो पुलिसकर्मियों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है।* इस हमले में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना 10 दिसंबर को बांदीपोरा के गुलशन चौक की है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि घाटी में जल्द से जल्द सांप्रदायिक सौहार्द और शांति लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(सत्रह) पश्चिम बंगाल में मुंडेश्वरी नदी पर छोटे बांध के निर्माण के बारे में

श्री सुनील कुमार मंडल (वर्धमान पूर्व): मैं जल शक्ति विभाग के मंत्री जी का ध्यान आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के सुधार के लिए रायना ब्लॉक के किनारे मुंडेश्वरी नदी पर एक छोटे बांध के निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यदि रायना ब्लॉक में मुंडेश्वरी नदी पर एक छोटा बांध बनाया जाता है, तो बहती नदी का जल स्तर किसी तरह बढ़ जाएगा और उक्त पानी को छोटी नहर बनाकर धान के खेतों में ले जाया जाएगा, तो किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा और सरकार को सिंचाई के लिए कर भी मिलेगा। *मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने दो बार परियोजना का निरीक्षण किया है और वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हैं।*इस संबंध में, मैंने कई बार निवेदन किया है, परंतु अभी तक कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। मैं फिर से सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने और मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूँ। मैं सरकार से इस संबंध में होने वाली समस्या के बारे में मुझे अवगत कराने का भी अनुरोध करता हूँ ताकि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जा सके।

अत:, मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया करके इस मुद्दे के संबंध में तत्काल और आवश्यक कदम उठाने और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रयास करें।

(अठारह) ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक घर भवनों की स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पोस्ट ऑफिस कार्यालयों की अवस्था जर्जर अवस्था में पहुँच चुकी है. महानगरपलिकाओं ने ऐसी इमारतों को ख़तरनाक घोषित कर दिया है।

वर्ष 1992 में शहर विकास प्रारूप में मनपा ने पोस्ट ऑफिसो के लिए भूखंड को आरक्षित रखा था इनमे से ठाणे मनपा क्षेत्र में 12 नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में 03 और मीरा भायंदर मनपा क्षेत्र में 05 आरक्षित भूखंडो का समावेश था. हालाँकि उन भूखंडो पर विकास कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार उसमे 40 प्रतिशत आरक्षित भूखंड पर आरक्षित भूखंड का 50 प्रतिशत क्षेत्र का निर्माण कार्य मुफ्त में करने के बाद शेष जगहों का इस्तेमाल विकासक कर सकता है. एन.ओ.सी. देने का अधिकार पोस्टल विभाग के प्रमुख का है। विभागीय लापरवाही के कारण पोस्ट ऑफिसो के लिए आरक्षित भूखंडों पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर लिया गया. बीस वर्षो से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी भूखंडों पर विकास कार्य न होने से हाई कोर्ट ने पोस्ट का आरक्षण रद्द कर दिया ऐसे में करोड़ो रूपये के भूखंड पोस्ट के हाथ से निकल चुके. ऐसे में इस मामले की गंभीरता से जाँच हो और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाये।

(उन्नीस) पूर्व-मध्य रेलवे जोन में रेल सुविधाओं के बारे में

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): पूर्व मध्य रेलवे के राघोपुर से फारबिसगंज तक आसनपुर कुपहा से निर्मली तक रेलवे का अमान परिवर्तन अभी भी अधूरा है| सहरसा से राघोपुर तथा आसनपुर कूपहा तक अभी भी पैसेंजर गाड़ी चल रही है| राघोपुर से ललित ग्राम तक अमान परिवर्तन का काम पूरा हो गया है, उक्त रेलखंड पर सी०आर०एस० का निरीक्षण हो गया है, अतः आग्रह है कि उक्त रेलखंड पर गाड़ी चलाने कृपा की जाय |

दानापुर से सहरसा तक गाड़ी संख्या 13205/13206 जनहित एक्सप्रेस, नई दिल्ली से सहरसा वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 02554/02553 चलती है, सियालदह से सहरसा, हाटे बाजरे एक्सप्रेस 13163/13164 इन तीनों ट्रेन का सरायरायगढ़ तक विस्तार किया जाए या तत्काल कनेक्टिंग ट्रेन पटना , दिल्ली, कोलकाता, के लिए चलाई जाए , जिससे नेपाल सहित कोसी क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके|

(बीस) ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव और सौंदर्यीकरण के बारे में

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): आज देश में हमारी ऐतिहासिक धरोहर जर जर हालत में हैं उनके रख रखाव पर खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा है खास कर जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल की पुरानी बिल्डिंग, एंग्लो अरेबिक स्कूल, तुर्कमान गेट दिल्ली, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, आगरा की शाही जामा मस्जिद जिन्हें मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है। भारत अपनी विविधता एवं विशाल संस्कृति के लिए जाना जाता है, सदियों से इन इमारतों का भव्य इतिहास रहा है। इन्हें ठीक से संरक्षित और सुरक्षित नहीं किया गया तो हमारी आनेवाली पीढ़ी इन ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू नहीं हो पायेगी। अतः सरकार से मेरी मांग है की इन विरासतों का रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण कराया जाए जिस से हमारे ऐतिहासिक धरोहर सदा मूल रूप में हमारे आनेवाली पीढ़ी के लिए बची रहे और वो हमारे इन ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू हो सकें।

یادگاریں تاریخی ہماری میں ملک آج صاحب، چیرمین محترم :(امروہہ) علی دانش کنور ہے، رہا جا دیا نہیں دھیان خاص کوئی پر رکھاوٴ رکھ کے ان ہیں۔ میں حالت خستہ بہت ترکمان اسکول، عربک اینگلو بلڈنگ، پرانی کی اسکول اسلامیہ ملیہ جامعہ کر خاص طور ذاتی نے میں جنہیں مسجد، جامع شاہی کی آگرہ مسجد، جامع شاہی کی دہلی گیٹ، ہے۔ جاتا جانا لئے کے ثقافت وسیع اور ڈائیورسٹی اپنی بھارت ہے۔ دیکھا خود پر گیا کیا نہیں محفوظ سے ٹھیک انہیں ہے۔ رہی تاریخ عظیم کی عمارتوں ان سے صدیوں اسلئے گی۔ پائیں ہو نہیں روبروں سے عمارتوں تاریخی ان نسلیں والی آنے ہماری تو اور جائے کرا سے ٹھیک رکھاوٴ رکھ کا وراثتوں ان کہ ہے مانگ یہ میری سے سرکار اپنی ہمیشہ عمارتیں تاریخی یہ ہماری سے جس جائے دیا دھیان خاص پر خوبصورتی ان ہماری وہ اور سکیں رہ محفوظ لئے کے نسلوں والی آنے ہماری میں شکل اصل سکیں۔ ہو روبروں سے عمارتوں تاریخی

شکریہ

(इक्कीस) विद्युत (संशोधन) विधेयक-2021 के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी. आर. नटराजन (कोयम्बटूर): बहुत खेद के साथ, मैं *दृढ़ता से* केन्द्र सरकार के प्रस्तावित जनविरोधी बिल 'विद्युत (संशोधन) विधेयक-2021' का पुरजोर विरोध करता हूं। इस प्रस्तावित विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्य विद्युत वितरण नेटवर्क के संपूर्ण निजीकरण की सुविधा प्रदान करेंगे। भले ही 12 से अधिक राज्य सरकारों और उपयोगकर्ताओं ने इस विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई हो, केंद्र सरकार राज्य सरकारों/उपक्रमों की चिंताओं/विचारों की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ रही है। कथित रुप से ऐसा माना जा रहा है कि यदि इस विधेयक को लागू किया जाता है तो विद्युत शुल्क की लागत तय करने की राज्य सरकारों की विधायी शक्ति छीन जाएगी। अब निजी कॉर्पोरेट कंपनियों पर कृषि पंप सेटों, बुनाई उद्योगों को उपलब्ध मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का कोई सामाजिक दायित्व नहीं होगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि बाद के वर्षों में इन निजी कंपनियों द्वारा इन लाभों को समाप्त किए जाने की संभावना है। निजी कंपनियों द्वारा क्रॉस सब्सिडी चार्ज को समाप्त करने से विद्युत की लागत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा, 10 लाख से अधिक लोगों के नौकरी की सुरक्षा, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रभावित हो सकते हैं।

इसलिए, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में निहित राज्य सरकार के विधायी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तावित 'विद्युत (संशोधन) विधेयक-2021' को निरस्त करने की शक्ति का उपयोग करने के लिए अपने माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं।

(बाईस) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध के बारे में

डॉ. थोल तिरूमावलवन (चिदम्बरम): हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक अनुसूचित जाति के परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। एन.सी.आर.बी. की प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। यहां 11,829 मामले दर्ज किए गए थे। यह दंडहीनता और उदासीनता को दर्शाता है। मैं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से हस्तक्षेप करने और इनसे जुड़े मुकदमों में तेजी लाने का आग्रह करता हूं। अत्याचारों की जांच के लिए विधायी और प्रभावी प्रशासनिक दोनों उपायों की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए । आज महँगाई पर चर्चा है, अन्य विषयों पर चर्चा है । आज महँगाई पर महत्वपूर्ण चर्चा है ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सबने माँग की हुई है । सभी माननीय सदस्य उसके ऊपर अपने विचार रखना चाहते हैं ।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया करके अपने स्थान पर जाएं। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइये। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 16 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 2.08 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 16 दिसंबर, 2021 / 25 अग्रहायण, 1943 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित